राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प0 6(1)चिस्वा/2/2014 जयपुर, दिनांक 7.6.2019

–:आदेश:–

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम 24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) से प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु दिनांक 16.12.2014 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। जिसमें **डॉ. मदन लाल सौंलकी, वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी),** जन्मतिथि 06.06.54 को दिनांक 1.4.2014 से प्रमुख विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की अभिशंषा की गई थी।

डॉ. मदन लाल सौंलकी, वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी), जन्मतिथि 06.06.54 के द्वारा दिनांक 11.7.2011 को 18 वर्ष की नियमित राज्य सेवा पूर्ण नहीं करने के कारण पूर्व में की गई बैठक का पुर्नविलोकन दिनांक 30.04.2019 को किया गया, जिसके फलस्वरूप डॉ. सौलंकी को दिनांक 1.4.2014 से **प्रमुख विशेषज्ञ के पद** पर प्रदान की गई पदोन्नति एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

डॉ. सौलंकी दिनांक 30.06.2016 को सेवानिवृत हो चुके है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री, राज, सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज. सरकार, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. सरकार, जयपुर
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी
7. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करावें।

(ओ. पी. वर्मा)
सहायक शासन सचिव